हुक्म

हुक्म का क्रमांक न्य इनिशियल्स जज

R.T.A. [illegible] पेश किया गया है। तामीलशुदा [illegible] अभी इस स्टेज में न्यायालय [illegible] कमिश्नर नियुक्त कर मौके की रिपोर्ट [illegible] है तो वह साक्ष्य एकत्रित करने की [illegible] है। न्यायालय अपने स्तर से इस स्टेज में साक्ष्य एकत्रित नहीं कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 R 7 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार होने से खारिज किया जाता है।

मजकूर अभियोजन सं. 6 की ओर से वकील श्री राजेश देवड़ा ने पेश किया जो आदिम निश्चल किया गया। वकील अभियोजन ने 5 अपना जवाब पेश करें। पत्रावली दिनांक 12.3.2017 को पेश हो।

12/3/18 पत्रावली पेश हुई व्यवसाय हेतु। वकील अभियोजन सं. 165 जवाब पेश करें। पत्रावली दि. 21/4/18 को पेश हो

21/3/18 पत्रावली पेश हुई व्यवसाय हेतु। वकील अभियोजन सं. 165 जवाब पेश करें। पत्रावली दि. 23/2/18 को पेश हो

23/3/18 पत्रावली पेश हुई। व्यवसाय हेतु। वकील प्रार्थी ने प्रकरण Not press किया है। प्रकरण रोजाना चलाना नहीं चाहते हैं। प्रकरण जारी में Not press खारिज किया जाता है। पत्रावली कैलेण्डर शुमार होकर नस्ती से बाद हो।

Not Press
[illegible]
6